राजस्व वाद संख्या 96 / 2024
GCMS NO. 2024 / 169
दौलाराम बनाम कमलेश वगै0
आदेश दिनांक 15.10.2025

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारीः–सुमन देवी
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत खाता विभाजन

प्राथमिक डिक्री

मुकदमा नम्बर :–**96 / 2024 (दोलाराम बनाम कमलेश वगै0)**

निर्णय दिनांक :–15.10.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, सुमन देवी(आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 15.10.2025 निर्णय अनुसार राजस्व ग्राम कालियासर की सरहद में स्थित भूमि खसरा नं. 84, 138, 282, 387 / 133, 388 / 133, 389 / 133, 390 / 61, 391 / 61, 392 / 61, 393 / 134, 394 / 134, 60 कुल किता 12 कुल रकबा 11.70 है0 तथा ग्राम बास कालियासर की सरहद में भूमि ख0न0 3, 4, 5 कुल किता 3 कुल रकबा 2.29 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में मृतक खातेदार छोटु पुत्र भोलु, बीरबल पुत्र भोलु, विद्याधर पुत्र जगमाल के स्थान पर उनके विधिक वारिसान का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। तदनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से का मुताबिक कब्जा काश्त रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये खाता विभाजन करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार मलसीसर को 1000 /– रूपये फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 लगायत 21 के अनुसार पक्षकारान की मौजूदगी में वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से का मुताबिक कब्जा काश्त रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। मौका फीस वादी द्वारा अदा की जावेगी। तहसीलदार मलसीसर को तहरीर जारी हो।

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 15.10.2025 को जारी की गई।

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर